2/2/26 अभियोजन अधिकारी उपस्थित/अभियुक्तगण अनुपस्थित की ओर से जरिये अधिवक्ता हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो केवल आज के लिए स्वीकार किया जाता है। साक्ष्य अभियोजन में गवाह PW1 राजेन्द्र रावत के बयान लेखबद्ध किये गये।

अभियोजन अधिकारी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 द.प्र.सं पेश किया। प्रार्थना पत्र की नकल अधिवक्ता अभियुक्त को दिलाई गई। अधिवक्ता अभियुक्त ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं करना चाहा, जिसपर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। अभियोजन अधिकारी ने जाहिर किया कि प्रकरण में रिपोर्ट पर कैलाश जांगिड़ के हस्ताक्षर नहीं होकर जयप्रकाश जैन के हस्ताक्षर होने से जयप्रकाश जैन को साक्ष्य हेतु तलब किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता अभियुक्त ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जाहिर की है। अतः प्रकरण में चूंकि उक्त गवाह जयप्रकाश जैन महत्वपूर्ण गवाह होना पाया है। ऐसे में उसे साक्ष्य हेतु तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन अधिकारी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 द.प्र.सं. स्वीकार किया जाकर गवाह जयप्रकाश जैन का नाम साक्ष्य सूची में जोड़ा जाकर उसे साक्ष्य हेतु तलब किये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश सुनाया गया।

साक्ष्य अभियोजन में शेष समस्त गवाहान को B/W 1000/- से तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 17/2/26 को पेश हो।

मोनिका
2/2/26

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2

ज.वि.प्रा.-सा. स्टोर-2015